



फोन:- 226422, 226423 फैक्स:- 02973-226424

वर्ष: 20 संख्या: 160

प्रभात

जालोर, मंगलवार 16 सितम्बर, 2025

पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24

पृष्ठ 8

मूल्य 2.50 रु.

Next-Gen
GST
Better & Simpler

समृद्ध किसान, खेती आसान

- अब ट्रैकर्स पर ₹40,000 से ज्यादा बचत
- अब कम्बाइन हावेस्ट्र श्रेष्ठ पर ₹1.25 लाख तक की बचत
- पावर टिले पर ₹10,000 तक की बचत
- मल्टी-ग्राम श्रेष्ठ पर ₹25,000 तक की बचत

भारत सरकार
GOVERNMENT OF BHARAT

GIC 15502/13/2015/2516

वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तीन विवादास्पद प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शेष अधिनियम के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूरो-

नई दिल्ली, 15 सितम्बर सुप्रीम कोर्ट ने सेवानामों को वक्फ संबोधन अधिनियम, 2025 की तीन प्रमुख धाराओं पर अंतरिम रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एवी मसीह की पीठ ने कहा कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन जिन धाराओं पर संवेधानिकता को चुनौती दी गई है, उन पर निर्णय आने तक उन्हें स्थगित रखा जाएगा।

अधिनियम में याचिकारी को दिए गए अत्यधिक अधिकारों पर सवाल उठाने हुए कोर्ट ने कहा:

- चीफ जस्टिस गवर्नर और जस्टिस मसीह की बैंच ने जिन तीन प्रावधानों पर रोक लगाई है, उनमें पहला कॉर्टकर को दिए गए "अत्यधिक" अधिकारों से संबंधित है। कोर्ट ने कहा, कॉर्टकर को नागरिकों के निजी अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह "सैपरेशन ऑफ पावर्स" के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक इस प्रावधान पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक इस धारा को स्थगित किया जाता है।
- दूसरा प्रावधान वक्फ बोर्ड तथा केन्द्रीय वक्फ काउन्सिल में गैर मुस्लिम सदस्यों से संबंधित था, कोर्ट ने इसे भी स्थगित कर दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी, जिसके तहत 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है।

"कलेक्टर को नागरिकों के निजी पृथक्करण (सैपरेशन ऑफ पावर्स) के अधिकारों का निर्णय करने की अनुमति सिद्धांत का उल्लंघन होगा। जब तक मैं कोई अधिकार नहीं बनाया जा सकता। नहीं दी जा सकती। इससे सत्ता के वक्फ द्विगुण द्वारा कोई निर्णय नहीं हो जाएगा।"

अधिनियम में याचिकारी को दिए गए अत्यधिक अधिकारों पर सवाल उठाने हुए कोर्ट ने कहा:

'आयकर रिटर्न जमा करने की डैड लाइन नहीं बढ़ाई गई है'

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डैड लाइन 30 सितम्बर किए जाने की वायरल खबर को फर्जी करार दिया

- हाल ही में वॉटसप्प और सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है कि आयकर रिटर्न की डैड लाइन, जो फैले 15 सितम्बर थी, को बढ़ाकर 30 कर दिया गया है।
- वित्त मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई सरकारी नोटिस जारी नहीं किया गया है।

आधिकारिक आदेश या अधिसूचना को जारी नहीं की गई है। विभाग ने इस फर्जी प्रेस विजिप्स को ऑनलाइन साझा किया है, जिस पर "फेक" (फर्जी) की लाल मुहर लगा हुआ है ताकि करदाताओं को सचेत किया जा सके।

एक वयान में विभाग ने कहा: "एक फर्जी खबर प्रसारित हो गई है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि उन 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई।" कोर्ट ने इस फर्जी के बारे में याचिकारी को आदेश प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनाया दी है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक "इनकम टैक्स इंडिया अपडेट" पर ही एक फर्जी खबर प्रसारित हो गई है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि उन 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई।" कोर्ट ने इस फर्जी के बारे में याचिकारी को आदेश प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनाया दी है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक "इनकम टैक्स इंडिया अपडेट" पर ही एक फर्जी खबर प्रसारित हो गई है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि उन 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई।" कोर्ट ने इस फर्जी के बारे में याचिकारी को आदेश प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनाया दी है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक "इनकम टैक्स इंडिया अपडेट" पर ही एक फर्जी खबर प्रसारित हो गई है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि उन 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई।" कोर्ट ने इस फर्जी के बारे में याचिकारी को आदेश प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनाया दी है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक "इनकम टैक्स इंडिया अपडेट" पर ही एक फर्जी खबर प्रसारित हो गई है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि उन 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई।" कोर्ट ने इस फर्जी के बारे में याचिकारी को आदेश प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनाया दी है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक "इनकम टैक्स इंडिया अपडेट" पर ही एक फर्जी खबर प्रसारित हो गई है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि उन 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई।" कोर्ट ने इस फर्जी के बारे में याचिकारी को आदेश प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनाया दी है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक "इनकम टैक्स इंडिया अपडेट" पर ही एक फर्जी खबर प्रसारित हो गई है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि उन 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई।" कोर्ट ने इस फर्जी के बारे में याचिकारी को आदेश प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनाया दी है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक "इनकम टैक्स इंडिया अपडेट" पर ही एक फर्जी खबर प्रसारित हो गई है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि उन 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई।" कोर्ट ने इस फर्जी के बारे में याचिकारी को आदेश प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनाया दी है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक "इनकम टैक्स इंडिया अपडेट" पर ही एक फर्जी खबर प्रसारित हो गई है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि उन 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई।" कोर्ट ने इस फर्जी के बारे में याचिकारी को आदेश प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनाया दी है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक "इनकम टैक्स इंडिया अपडेट" पर ही एक फर्जी खबर प्रसारित हो गई है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि उन 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई।" कोर्ट ने इस फर्जी के बारे में याचिकारी को आदेश प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनाया दी है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक "इनकम टैक्स इंडिया अपडेट" पर ही एक फर्जी खबर प्रसारित हो गई है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि उन 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई।" कोर्ट ने इस फर्जी के बारे में याचिकारी को आदेश प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनाया दी है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक "इनकम टैक्स इंडिया अपडेट" पर ही एक फर्जी खबर प्रसारित हो गई है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि उन 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई।" कोर्ट ने इस फर्जी के बारे में याचिकारी को आदेश प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनाया दी है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक "इनकम टैक्स इंडिया अपडेट" पर ही एक फर्जी खबर प्रसारित हो गई है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि उन 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई।" कोर्ट ने इस फर्जी के बारे में याचिकारी को आदेश प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही बनाया दी है। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि केवल आधिकारिक "इनकम टैक्स इंडिया अपडेट" पर ही एक फर्जी खबर प्रसारित हो गई है, जिसमें कहा गया है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि उन 31.07.2025 थी और फिर

15.09.2025 तक बढ़ाई गई।" कोर्ट न